अजय भल्ला, भा.प्र.से.
AJAY BHALLA, IAS

सत्यमेव जयते

गृह सचिव
Home Secretary
भारत सरकार
Government of India
नॉर्थ ब्लॉक/North Block
नई दिल्ली/New Delhi

अ. शा. पत्र सं. 40-3/2020-डीएम-I (ए) 28 सितम्बर, 2021

प्रिय मुख्य सचिव,

कृपया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 21 सितंबर, 2021 की एडवाइजरी द्वारा यथा संसूचित कोविड-19 की रोकथाम के लिए त्वरित एवं प्रभावी कंटेनमेंट उपायों के कार्यान्वयन के संबंध में आज जारी किए गए गृह मंत्रालय के समसंख्यक आदेश का संदर्भ ग्रहण करें।

2. देश में कोविड-19 के दैनिक मामलों और इसकी समग्र संख्या तेजी से घट रही है। तथापि, कुछ राज्यों में यह वायरस स्थानीय तौर पर अभी भी फैल रहा है और हमारे देश में कोविड-19 अभी जन स्वास्थ्य संबंधी चुनौती के तौर पर बना हुआ है।

3. कोविड-19 के मामलों के घटने के साथ, विशेषकर त्यौहारों के दौरान, यह संभावना रहती है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन नहीं हो पाता है। अत: त्यौहारों को सावधानीपूर्वक, सुरक्षित और कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ मनाने संबंधी दिशानिर्देशों को लागू करना बहुत जरूरी है। बड़े कार्यक्रमों के संबंध में अत्यधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है ताकि कोविड-19 के मामलों में वृद्धि की किसी संभावना से बचा जा सके। इस दौरान मेलों, त्यौहारों, धार्मिक कार्यक्रमों और समारोहों में बड़ी भीड़ होने से देश में कोविड-19 के मामलों में फिर से वृद्धि हो सकती है।

4. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक जिले के पॉजिटिव मामलों, हॉस्पिटल/आईसीयू बेड ऑक्यूपेंसी की नियमित आधार पर गहन मॉनिटरिंग करनी चाहिए। हाई पॉजिटिविटी दर वाले जिलों में संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कंटेनमेंट के सक्रिय उपाय किए जाने चाहिए ताकि मामलों में होने वाली वृद्धि को प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जा सके और संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। मामलों के लक्षणों का शीघ्र पता लगाने और इनको फैलने से रोकने पर अंकुश लगाने के लिए उचित उपाय करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए स्थानीय तौर पर उपाय करने होंगे जैसा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 21.09.2021 की एडवाइजरी में उल्लेख किया गया है।

5. कोविड-19 के मामलों में वृद्धि होने की इस संभावना से बचने के लिए त्यौहार के समय को सुरक्षित तरीके से पार करने हेतु पांच सूत्री रणनीति पर लगातार फोकस किया जाना चाहिए अर्थात टेस्ट-ट्रेक-ट्रीट-वेक्सीनेशन और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन किया जाना चाहिए ।

**शेष अगले पृष्ठ पर**

6. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पात्र आयु वर्ग के टीकाकरण कार्य को तेज करने और पात्र लाभार्थियों को दूसरी डोज लगाने को प्राथमिकता देने पर फोकस करते हुए अपने टीकाकरण कार्यक्रम को जारी रखना चाहिए।

7. अत:, मेरा आपसे अनुरोध है कि कोविड-19 की त्वरित और प्रभावी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 21 सितम्बर, 2021 के पत्र में दी गई सलाह के अनुसार, आवश्यक उपाय करने के बारे में जिला और अन्य सभी स्थानीय प्राधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएं। मेरी यह भी सलाह है कि इस बारे में संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा जारी किए गए आदेशों के उचित कार्यान्वयन के लिए इनका जनता तथा क्षेत्रीय पदाधिकारियों में व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाए।

सादर,

आपका शुभेच्छु,

**(अजय भल्ला)**

**सभी राज्यों के मुख्य सचिव**